न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 15 / 2020

श्रीमति हेमन्त कुमारी पत्नि भगवान स्वरूप जाति धाकड़ निवासी वार्ड नम्बर 24 कस्बा अग्रसैन कालोनी नई सब्जी मण्डी बयाना जिला भरतपुर।

.... अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) नगर पालिका बयाना ।

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक .... निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका बयाना

निर्णय **दिनांकः– 24.11.2020**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.), बयाना जिला भरतपुर दिनांक .... के पेश की है । अपीलाधीन आदेश में उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपीलान्ट श्रीमति हेमन्त कुमारी पत्नि भगवान स्वरूप के प्रारूप –3 बाबत निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के आवेदन को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना से प्राप्त रिपोर्ट / तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई । अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी का कस्बा बयाना का रहने वाला है तथा प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, गैस कनैक्शन बयाना के ही हैं इन समस्त दस्तावेजों में कस्बा बयाना का ही पता अंकित है । इन समस्त दस्तावेजों व साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अपीलार्थी बयाना का ही निवासी है । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), बयाना ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनने का अवसर दिया और न ही हल्का पटवारी,गिरदावर,बी.एल.ओ. व सुपरवाईजर द्वारा प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

गई रिपोर्ट पर कोई गौर किया । अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है । यदि अपीलार्थी का नाम नगर पालिका, बयाना में दर्ज नहीं किया गया तो वह अपने वैधानिक मताधिकार से बंचित रह जावेगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का नाम वार्ड नम्बर 24 नगर पालिका बयाना में जोड़े जाने के आदेश दिये जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया । पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया । उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी एवं तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का नाम पूर्व से ही ग्राम पंचायत लहचोरा कलां की निर्वाचक नामावली 2020 के वार्ड संख्या 02 की कम संख्या 253 पर दर्ज है। जिसकी छाया प्रति तहत पत्रावली में संलग्न है । आवेदक ने वहां से नाम काटने बाबत भी किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है। **राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 09.11.2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आवेदक के पूर्व में किसी अन्य क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम अंकित हो तो वर्तमान नगरपालिका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं जोड़ा जा सकता है।** अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र की भौतिक सत्यापन में अपीलान्ट का नाम ग्रांम ग्राम पंचायत लहचोरा कलां की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना पाये जाने पर अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। एस.डी. ओ बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा विधिवत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.18 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested